समाहरणालय, अरवल।

वर्षा सिंह, भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी, अरवल
:- 06337-228994 (O)
:- 06337-228985 (R)
:- 06337-228988 (F)
:- 091-9473191476
E-mail :- dm-arwal.bih@nic.in

खनन शाखा

पत्रांक 677 /खनन, अरवल, दिनांक 27/07/2024

प्रेषित,

Ayush Enterprises,
Prop-Nidhi Kumari,
D/O-Umesh Sharma,
W/o-Rajeev Rajan, Habsapur, Sarsi,
Patna Bihar-801110
Mob-9110181931
Email-nidhi230586@gmail.com

विषय :– **अरवल जिलान्तर्गत पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–03 (धमौल, कोदमरई–2, कोदमरई–01, शर्फरपुर, भगवतीपुर–01, कुसरे –3, भगवतीपुर–02) की आगामी पांच वर्षो के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 13.07.2024 को सम्पन्न ई–नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक अरवल जिलान्तर्गत पुनपुन नदी के **क्लस्टर/इकाई–03(धमौल, कोदमरई–2, कोदमरई–01, शर्फरपुर, भगवतीपुर–01, कुसरे –3, भगवतीपुर–02)** की आगामी पांच वर्षो के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 13.07.2024 को सम्पन्न ई–नीलामी में आपके द्वारा मो0–97,74,000.00 (संतानवे लाख चौहत्तर हजार) के विरूद्ध उच्चतम डाक की राशि मो0–1,07,51,400.00 (एक करोड़ सात लाख इक्यावन हजार चार सौ) रूपया बोली के उपरांत उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए है। निविदा दस्तावेज की कंडिका–20(i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि के 25 प्रतिशत (अग्रधन राशि समायोजनोपरांत) शेष प्रतिभूति राशि मो0–2,44,350.00 (दो लाख चौवालीस हजार तीन सौ पचास) रूपया के भुगतान के साक्ष्य दिनांक 26.07.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका–20(i)(ii)(iii)(iv)(v)के आलोक में जिलान्तर्गत पुनपुननदी के **क्लस्टर/इकाई–03 (धमौल, कोदमरई–2, कोदमरई–01, शर्फरपुर, भगवतीपुर–01, कुसरे –3, भगवतीपुर–02)** बालूघाट का सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निम्न शर्तो एवं बंधेजों के साथ दिया जाता है:–

1. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट धमौल का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.42	25.168562 N	84.792575 E
			25.168739 N	84.792659 E
			25.168957 N	84.792894 E
			25.169244 N	84.79338 E
			25.169244 N	84.793738 E
			25.169266 N	84.794006 E
			25.169343 N	84.794586 E
			25.169379 N	84.795164 E
			25.169262 N	84.795588 E
			25.169155 N	84.795265 E
			25.168956 N	84.794513 E
			25.168745 N	84.793878 E
			25.168572 N	84.793471 E
			25.168344 N	84.793019 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	

2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नही
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नही
5	खनन योग्य मात्रा	25560 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	121/780/2328

2. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट कोदगरई–02 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.06	25.157042 N	84.791098 E
			25.156206 N	84.790894 E
			25.155943 N	84.790789 E
			25.155406 N	84.7906 E
			25.154954 N	84.790456 E
			25.154512 N	84.790346 E
			25.154255 N	84.790323 E
			25.153992 N	84.79034 E
			25.153729 N	84.790407 E
			25.15356 N	84.790473 E
			25.153411 N	84.790547 E
			25.153277 N	84.790627 E
			25.15338 N	84.790383 E
			25.15363 N	84.790186 E
			25.153912 N	84.790148 E
			25.154691 N	84.790134 E
			25.154949 N	84.790131 E
			25.155409 N	84.790309 E
			25.155825 N	84.790387 E
			25.156936 N	84.790921 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नही	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नही	
5	खनन योग्य मात्रा		19080 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या		123/236/1001	

3. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट कोदगरई–01 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.10	25.151055 N	84.791535
			25.15115 N	84.791803
			25.150297 N	84.792513
			25.149639 N	84.792869
			25.148933 N	84.793132
			25.148197 N	84.793148
			25.148063 N	84.792954
			25.148361 N	84.792952
			25.14849 N	84.792934
			25.148782 N	84.792854
			25.1491 N	84.792743
			25.149472 N	84.792581
			25.14994 N	84.792322
			25.150455 N	84.791996
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी		लागू नही	

	अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नही
5	खनन योग्य मात्रा	19800 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	123/236/991

4. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट शर्फरपुर का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.50	25.133319 N	84.774062 E
			25.133308 N	84.774283 E
			25.133207 N	84.774591 E
			25.133083 N	84.774855 E
			25.133059 N	84.774898 E
			25.132455 N	84.775584 E
			25.13217 N	84.775657 E
			25.132254 N	84.775505 E
			25.132615 N	84.775015 E
			25.132756 N	84.774793 E
			25.132864 N	84.774607 E
			25.132957 N	84.774402 E
			25.133029 N	84.774315 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नही	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नही	
5	खनन योग्य मात्रा		9000 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या		238/44/143	

5. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट भगवतीपुर–01 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.14	25.139125 N	84.770486 E
			25.139114 N	84.77076 E
			25.138625 N	84.770791 E
			25.138364 N	84.770807 E
			25.138105 N	84.770814 E
			25.137669 N	84.770705 E
			25.13762 N	84.770693 E
			25.137293 N	84.770523 E
			25.136971 N	84.770357 E
			25.136524 N	84.770177 E
			25.136385 N	84.769999 E
			25.136287 N	84.769805 E
			25.13672 N	84.769926 E
			25.137281 N	84.770125 E
			25.137672 N	84.770253 E
			25.138207 N	84.770368 E
			25.138704 N	84.770481 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नही	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन		नहीं	

	पट्टा क्षेत्र की दूरी	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नही
5	खनन योग्य मात्रा	20520 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	236/341/909, 1348

6. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट कुसरे–03 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.39	25.143779 N	84.77049 E
			25.143505 N	84.770449 E
			25.142792	84.770415 E
			25.142424 N	84.77042 E
			25.1419 N	84.770428 E
			25.141531 N	84.770455 E
			25.141142 N	84.770487 E
			25.140921 N	84.770523 E
			25.141037 N	84.770284 E
			25.141157 N	84.770157 E
			25.141659 N	84.769949 E
			25.142391 N	84.769878 E
			25.14339 N	84.769998 E
			25.143673 N	84.770118 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नही	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नही	
5	खनन योग्य मात्रा		25020 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या		233/346/2195	

7. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई–3 बालूघाट भगवतीपुर–02 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

क्र0स0	नदी का नाम	रकवा (हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.63	25.147154 N	84.77082 E
			25.14715 N	84.770968 E
			25.146981 N	84.771166 E
			25.146625 N	84.771226 E
			25.146454 N	84.7712 E
			25.146313 N	84.771178 E
			25.146043 N	84.771093 E
			25.145711 N	84.770982 E
			25.14546 N	84.770897 E
			25.145253 N	84.770749 E
			25.145088 N	84.770632 E
			25.145089 N	84.770424 E
			25.145312 N	84.770523 E
			25.145548 N	84.770634 E
			25.145993 N	84.77084 E
			25.14662 N	84.770914 E
			25.146825 N	84.770909 E
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नही	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नही	

5	खनन योग्य मात्रा	11340 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	236/341/909, 1348

8. भुगतान की शर्तें:–
   (i) नीलामी–राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।
   (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त(50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादनसे पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त(25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त(25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता, अरवल के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई–चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9. **GSTका भुगतान** :–बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन् कार्यालय अरवल में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

10. **आयकर/अन्य करों का भुगतान**:–बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन् कार्यालय अरवल द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

11. **जिला खनिज फाउन्डेशन**:–Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला खनन पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम अनुसार करना होगा।

12. **वैधानिक अनापत्ति**:–बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे:– खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:–

   i. **खनन योजना**:–खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 15 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्त्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

   ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति**:–सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम

प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC)के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

iii. **जल एवं वायु सहमति**:–पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operateप्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा**:–खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति मे वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।

v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते है या प्राप्त करने में रूचि नहीं लेते है तो, समाहर्त्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।

13. **बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना**:–

i. सफल डाकवक्ताद्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षो की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा।सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पॉच वर्षो के लिए विधिमान्य होगा।

ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित **संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर** कराना अनिवार्य होगा।

14. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 50 के अनुरूप किया जा सकेगा।

15. **सामान्य शर्त्तें** :–

(i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की ज़ाएगी।

(ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।

(iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोस्तधारी की होगी।

(v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होगे और पायी गई किसी भी षिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरूद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्त्ता द्वारा बालूघाटों का संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बधनों और शर्त्तो तथा निदेषों का पालन करेगा।

(vii) यथोक्त शर्त्तो बंधेजों एवं निर्बधनों का पालन नहीं करने पर कारण पूच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नही करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ–साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

(ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभका अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/ अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL)एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद कासमर्पित करना होगा।

(x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।

(xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xiii) ई–नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तीधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

27/07/2024

समाहर्त्ता,
अरवल।